रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260396
CG-DL-E-23012025-260396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2025/ माघ 1, 1946
No. 355] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2025/ MAGHA 1, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

का.आ. 358(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, एतद्वारा रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. (1) इस आदेश को रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. रेफ्रिजरेटिंग उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के, पैराग्राफ 2 में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'बशर्ते कि आगे इस आदेश में से कुछ भी, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित *सामानों और वस्तुओं* के विनिर्माता या ऐसे विनिर्माता *जिसने संबंधित सामानों और वस्तुओं के प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है, द्वारा निर्यात के लिए,* रेफ्रिजरेटिंग उपकरणों के घटकों के आयात पर लागू नहीं होगा, जो इस शर्त के अधीन है कि विनिर्माता केन्द्र सरकार को इस संबंध में अपने लेटर-हेड पर अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें आयात खेप की इनवॉइस संख्या और अन्य संगत ब्यौरे का उल्लेख होगा और यह वचनबद्धता होगी कि इस प्रकार आयातित *घटकों* को किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा या घरेलू बाजार में नहीं बेचा जाएगा और विनिर्माता संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन या लेखा-परीक्षा के लिए ऐसे आयातित *सामानों और वस्तुओं* तथा अपने उत्पाद का रिकार्ड रखेगा:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी ब्यूरो द्वारा प्रमाणित रेफ्रिजरेटिंग उपकरणों के विनिर्माता या ऐसे विनिर्माता *जिसने संबंधित सामानों और वस्तुओं के प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है,* द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन हेतु प्रति वर्ष आयातित दो सौ *सामानों या वस्तुओं* पर लागू नहीं होगा जो *इस शर्त के अध्यधीन है कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया* जा सकता है तथा *विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे* और उसे केन्द्र सरकार को **प्रस्तुत करेंगे**।"

[फा. सं. पी-29026/3/2019-एलईआई]
संजीव, संयुक्त सचिव

नोट.- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के अंतर्गत दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 4489 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया और इसे दिनांक 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 5339 (अ), तथा दिनांक 14 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 5850 (अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER
New Delhi, the 16th January, 2025

S.O. 358(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Refrigerating Appliances (Quality Control) Order, 2020, namely: -

1. (1) This Order may be called the Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Refrigerating Appliances (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 2, after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that nothing in this Order shall apply to imports of components of refrigerating appliances by a manufacturer of goods and article certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles, for exports subject to the condition that the manufacturer furnishes a self-declaration in this regard in its letter-head signed by its authorised signatory to the Central Government mentioning the invoice number and other relevant details of the import consignment and an undertaking that the components so imported shall not be put to any other use or sold in the domestic market and the manufacturer shall maintain the record of such goods and articles imported and its product for verification or audit by the Government authorities concerned:

Provided also that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported per year for the purpose of research and development by a manufacturer of refrigerating appliances certified by the Bureau or a manufacturer who has applied to the Bureau for certification for the relevant goods and articles, subject to the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government".

[F. No. P-29026/3/2019-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note.- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 4489(E), dated the 10th December, 2020 and amended vide notification number S.O. 5339 (E), dated the 22nd December, 2021 and notification number S.O. 5850 (E), dated the 14th December, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.23 15:13:13 +05'30'